



226

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर.

अपील 1295-T/107

हरीनारकण पिता सुरतसिंग उम्र 60 वर्ष
निवासी- ग्राम पुरेना नरसिंहगढ़
तह. व जिला दमोह म.प्र.

// विरुद्ध //

1. राजकुमार आत्मज लक्ष्मी प्रसाद ब्राह्मण
निवासी- ग्राम पुरेना नरसिंहगढ़ तह. जिला दमोह
 2. राजकिशोर पिता लक्ष्मी प्रसाद ब्राह्मण
निवासी- ग्राम कछ खवास तह. पथरिया जिला दमोह
 3. गजाधर पिता लक्ष्मी प्रसाद ब्राह्मण
निवासी- ग्राम पुरेना नरसिंहगढ़ तह. व जिला दमोह
 4. रामखिलावर पिता इन्द्रदेव
निवासी- ग्राम भोजपुर नरसिंहगढ़
तह. व जिला दमोह म.प्र.
- अपील क्र.क. तारीख पेशी

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता.

अपीलार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

अपीलार्थी अतिरिक्त कमिश्नर सागर
द्वारा प्रकरण क्र. 361/ए-6x05-06
में पारित आदेश दिनांक 23/5/06
के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत करता है:-

::- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिअपीलार्थी 1 से 3 आपस
में सगे भाई हैं तथा मौजा पुरेना नरसिंहगढ़ की भूमि खसरा नं.
95/1 रकबा 0.99 हे. पर शामिल शरीक नाम वर्ण धा तीनों
भाइयों के बीच मती पर बटवारा हो चुका है तथा अपने अपने हि

बीच
नापत्र

श्री राजेश प्रसाद 03.
डा. आनंद दि. 21-7-97
म.प्र. सागर के बस
21-7-07

राजेश प्रसाद

RS

R-1295-I/07

4/12

25.7.16

25.7.16.

3.000
 300
 4203

प्रमाण. से
 को प्रमाण
 को प्रमाण

हावेलक को
 को प्रमाण
 को प्रमाण

[क. प. उ.
 आदि के हस्ताक्षर

3.000
 300
 4203

प्रमाण. से
 को प्रमाण
 को प्रमाण

हावेलक को
 को प्रमाण
 को प्रमाण

को प्रमाण
 को प्रमाण
 को प्रमाण

को प्रमाण
 को प्रमाण
 को प्रमाण

30

को प्रमाण
 को प्रमाण